

वित्तीय वर्ष-2020-2021 में जनपद सम्मल के पुलिस कार्यालय/थानों में समस्त लेखन सामग्री की आपूर्ति किये जाने हेतु निम्न शर्तों के आधार पर दिनांक: 15.06.2019 को निविदाये आमंत्रित की गयी थी, परन्तु समय से स्टेशनरी विक्रेता के उपस्थित न होने के कारण निविदा की कार्यवाही पूर्ण न हो सकी।
अतः लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु निर्धारित शर्तों के आधार पर दिनांक: 30-06-2020 को निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा की शर्तें निम्नवत हैं:-

- 1- टेण्डर के साथ फर्म द्वारा अपनी कुटेशन संलग्न की जायेगी।
- 2- आपूर्ति फर्म को टेण्डर स्वीकृति से पूर्व प्रत्येक सामान का सैम्पल कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।
- 3- निविदा स्वीकृत करते समय न्यूनतम कोटेशन के अतिरिक्त सामग्री की क्वालिटी के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।
- 4- प्रस्तुत की गई निविदा के फर्म को प्रत्येक सामग्री का ब्राण्ड अंकित करना होगा एवं कोटेशन में दर्शायी गई ब्राण्ड/कम्पनी के अनुसार ही सामग्री की आपूर्ति करनी होगी।
- 5- पुलिस अधीक्षक सम्मल को निविदा स्वीकृत करने एवं अस्वीकृत करने का अधिकार होगा। पुलिस अधीक्षक सम्मल के निर्णय के विरुद्ध किसी भी फर्म को किसी भी न्यायालय के समक्ष वाद दायर करने का अधिकार नहीं होगा।
- 6- निविदा फर्म के लिफाफे के ऊपर कार्य का नाम/पता/फोन नं० अंकित होना चाहिए।
- 7- निविदा फर्म का मूल्य 200/- रुपये है पुलिस कार्यालय सम्मल से प्राप्त कर निर्धारित अवधि के अन्दर पुलिस अधीक्षक सम्मल के कार्यालय में समय 12.00 बजे तक जमा होगा जो उसी दिन दोपहर 14.00 खोला जायेगा। निविदा दाताओं को आयकर/बिक्रिकर का प्रमाण पत्र निविदा फर्म प्राप्त करते समय जमा करना होगा। किसी भी निविदा का स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक सम्मल के पास सुरक्षित है।
- 8- सम्बन्धित फर्म (जिसकी निविदा अन्तिम रूप से स्वीकृत होगी) से सही प्रकार से कार्य करने संबंधी इस आशय का अनुबन्ध-पत्र भरना होगा कि निविदा स्वीकृत की तिथि से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक लेखन सामग्री मागपत्र के अनुसार तत्काल उपलब्ध करानी होगी तथा उसमें यह भी अंकित करना होगा कि दिये गये सैम्पल/मानक के अनुसार सामग्री न होने पर उसका टेण्डर निरस्त किये जाने पर फर्म/ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 9- निविदा फर्म जमा करते समय 50,000-00 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा करनी अनिवार्य होगी। खराब सामग्री आपूर्ति होने के दशा में उक्त सिक्योरिटी मनी जब्त कर ली जायेगी।
- 10- निविदा हेतु टेण्डर फर्म दिनांक 29.06.2020 से प्रातः 10 बजे से सांय 05.00 बजे तक पुलिस कार्यालय सम्मल से रु० 200/- जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।
- 11- पी०आर० सैल को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में छपवाये जाने हेतु।

पत्रांक:-ल-61/2020

दिनांक-26.06.2020

पुलिस अधीक्षक
जनपद-सम्मल।

प्रतिलिपि

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- पुलिस महानिरीक्षक मुरादाबाद परिक्षेत्र मुरादाबाद को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- अपर पुलिस अधीक्षक / क्षेत्राधिकारी नगर/लाइन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 4- प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन सम्मल को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 5- ✓ पी०आर० सैल को सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि वह निम्न विज्ञापन को किन्ही दो दैनिक समाचार पत्रों (अमरउजाला एवं दैनिक जागरण) में राजकीय दर पर प्रकाशित कराकर उनके बिल आंकिक शाखा में भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करे।
- 6- आंकिक को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 7- दफ्तरी को नोटिस बोर्ड पर चरपा कराने हेतु।
- 8- कमल स्टेशनरी बहजोई/प्रेमप्रिंटिंग पेस बबराला एवं के०पी०एस०सी० मैथरा आलपुर बहजोई जनपद सम्मल
- 9- वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक मुरादाबाद/बरेली/अमरोहा/रामपुर/सम्मल/पीलीभीत/शाहजहापुर/मेरठ/मुजफ्फरनगर/सहारनपुर/गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर/बुलन्दशहर/अम्बेडकरनगर/अलीगढ़/आगरा/आजमनगर/इटावा/प्रयागराज/उन्नाव/एटा/कानपुरनगर/कानपुरददेहात/लखीमपुरखीरी/गाजीपुर/गोण्डा/जौनपुर/गोरखपुर/कुशीनगर/प्रतापगढ़/फतेहपुर/फरुखाबाद/बलरामपुर/मथुरा/फिरोजाबाद/फैजाबाद/बहराइच/बलिया/बस्ती/बदायूँ/बाराबंकी/बांदा/बलरामपुर/मथुरा/मऊ/महाराजगंज/मिर्जापुर/मैनपुरी/रायबरेली/ललितपुर/लखनऊ/वाराणसी/सिद्धार्थनगर/सीतापुर/सुल्तानपुर/सोनभद्र/हमीरपुर/औरैया/कन्नौज/चित्रकूट/सन्तरविदासनगर/काशीरामनगर/चन्दौली/कौशाम्बी/महोबा/महामायानगर/श्रावस्ती/को सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार प्रसार करने हेतु।